

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-07-08/2023

510

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-19.08.2025 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक-5152 दिनांक-21.05.2013, विभागीय पत्रांक-12402 दिनांक-13.12.2018, वित्त विभागीय परिपत्र सं0-4862, दिनांक-29.04.2025 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एन0आर0ई0पी0 स्थापना के निम्नांकित लिपिकों/कनीय लेखा लिपिकों जिन्हें समाहरणालय लिपिकीय सेवा के समतुल्य घोषित किया गया है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0)की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय वित्तीय उन्नयन	स्क्रीनिंग समिति का निर्णय/अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मनीष कुमार/लेखा लिपिक/कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-1, औरंगाबाद।	07.12.1972 / 31.12.2032	03.07.1998	27.12.2011	प्रथम ए0सी0पी0/द्वितीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक-03.07.2010 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-03.07.2018 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान लेवल-7 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।
2	श्री इन्तजार अंजुम/लेखा लिपिक/स्था0क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल-02, बनमनखी, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्य प्रमंडल, जहानाबाद	07.05.1967 / 31.05.2027	16.10.1986	11.12.2005	प्रथम ए0सी0पी0/द्वितीय एम0ए0सी0पी0/तृतीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान-5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक-01.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे0-4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-16.10.2016 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान लेवल-8 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित)।

3	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्थां० क्षेत्रांगी० संगठन, कार्य प्रमंडल-02 बगहा।	17.01.1961/ 31.01.2021	30.06.1989	01.04.1993	प्रथम ए०सी०पी० / द्वितीय एम०ए०सी०पी० / तृतीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-30.06.2001 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 30.06.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे-4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक-30.06.2019 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान लेवल-8 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
4	श्री प्रभाकर प्रसाद सिन्हा/सेवानिवृत्त वरीय लेखा लिपिक/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डिहरी।	25.12.1949 / 31.12.2009	07.05.1979	27.09.1999	प्रथम ए०सी०पी० / द्वितीय ए०सी०पी० / तृतीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 07.05.2003 की तिथि से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान- 5500-9000/- में स्वीकृत। 3. दिनांक-07.05.2009 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-9300-34800/- ग्रेड पे-4600 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।
5	श्री प्रदीप कुमार/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल, दरभंगा	27.02.1959/ 28.02.2019	30.01.1989	21.10.2014	प्रथम ए०सी०पी० / द्वितीय एम०ए०सी०पी० / तृतीय एम०ए०सी०पी०	1. दिनांक-30.01.2001 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान- 5000-8000/- में स्वीकृत। 2. दिनांक- 30.01.2009 की तिथि से द्वितीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान- 9300-34800/- ग्रेड पे-4600 स्वीकृत। 3. दिनांक-30.01.2019 की तिथि से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान लेवल-8 में स्वीकृत। (तदनुसार पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० इस हद तक संशोधित)।

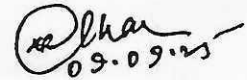
3. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य मामला आदि, जो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

7. जिन कर्मियों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मों को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


09.09.25

(जय किशोर ठाकुर)

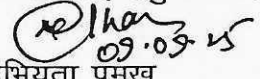
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023

9753

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.09.25

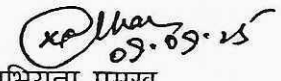
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023

9753

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.09.25

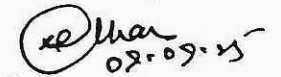
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023

9753

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09.09.25

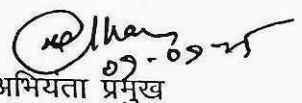
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023

9753

/पटना, दिनांक:- 9.9.25

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


09.09.25

अभियंता प्रमुख